

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
भोपालपानी, देहरादून।

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
- 2-जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
बागेश्वर/पिथौरागढ़/अल्मोडा/नैनीताल/उधमसिंहनगर/चम्पावत/चमोली/रूद्रप्रयाग/टिहरी
गढ़वाल/उत्तरकाशी/पौड़ी गढ़वाल/देहरादून/हरिद्वार।

दिनांक / 9 अप्रैल, 2018

संख्या: / 6 / मु0ख0/42/भू0खनि0ई0/DMF/2015-16,

विषय: जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (District Mineral Foundation Trust) में जमा धनराशि के सापेक्ष व्यय की जाने वाली धनराशि की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1329/VII-1/2017/08 ख/16 दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 जिसके द्वारा जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (District Mineral Foundation Trust) का गठन किया गया है एवं अधिसूचना संख्या 1621/VII-1/2017/8 ख/16 दिनांक 17 नवम्बर, 2017 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (District Mineral Foundation Trust) नियमावली-2017 प्रख्यापित की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं0 1621/VII-1/2017/8 ख/16 दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली-2017 के नियम - 7 शासी परिषद की बैठक एवं नियम-11 न्यास की निधि से व्यय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना है कि राज्य के अर्न्तगत उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास के गठन हुये लगभग पांच माह की अवधि व्यतीत हो चुकी है परन्तु इस अवधि में शासी परिषद की बैठक की सूचना एवं जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में जमा अंशदान के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि व व्यय किये जाने हेतु चिन्हाकित योजनाओं/परियोजनाओं की सूचना अद्यतन अप्राप्त है, जिससे समय-समय पर भारत सरकार /शासन स्तर पर आहुत बैठकों में उक्त के सम्बन्ध में अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास को CM Dash- Board पर Key Performance Indicator (KPI) के रूप में प्रदर्शित किया जाना है तथा उक्त की निगरानी सीधे मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं0 1621/VII-1/2017/8 ख/16 दिनांक 17 नवम्बर, 2017 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली-2017 के नियम - 7 शासी परिषद की बैठक एवं नियम-11 न्यास की निधि से व्यय से सम्बन्धित सूचना अविलम्ब शासन/निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

19/04/18
(विनय शंकर पाण्डेय)

निदेशक

संख्या: / 6 / मु0ख0/42/भू0खनि0ई0/DMF/2015-16, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19/04/18
(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक